RBE No.12/2011

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2010-E(LL)/AT/USW/1 **New Delhi, Dated :27.01.2011**

The General Manager,
All Indian Railways.

Sub.: MR's Budget Pronouncement 2010-11 – Extension of Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) to licensed porters, licensed vendors and licensed hawkers.

In pursuance of Hon'ble Minister of Railways' announcement while introducing the Railway Budget 2010-2011 and in fulfilment of our corporate social responsibility, it is proposed to extend Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) to licensed porters, licensed vendors and licensed hawkers belonging to the Above Poverty Line (APL) category who are from the unorganised sector and are socially challenged.

2. The objectives of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana are to provide financial security to the unorganised sector workers belonging to Below Poverty Line (BPL) and their families from hospitalisation related expenses, improve access to quality health care, provide beneficiaries the power of choice to select a health care provider and to provide a scheme which is simple to use for the end user and transparent.

2.1 The Rashtriya Swasthya Bima Yojana provides for smart card based cashless health insurance cover of ₹ 30,000/- per annum in case of hospitalisation and certain day care procedures to a BPL family of five on a floater basis. Transportation charges are also covered upto a maximum of ₹ 1,000/- per annum with a limit of ₹ 100/- per hospital visit. Pre and post hospitalisation expenses up to one day prior to hospitalisation and up to five days from the date of discharge from the hospital are covered in the Yojana. All pre-existing diseases are covered from day one and there is no age limit on the enrolment of beneficiaries. A network of health care providers is created across India through empanelment based on defined criteria. Further details of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana could be accessed from Ministry of Labour & Employment's website: www.rsby.gov.in.

3. In the case of BPL licensed porters, licensed vendors and licensed hawkers not yet covered, Zonal Railways shall facilitate them for coverage under the existing scheme of RSBY being implemented by the concerned State Governments.

4. The guidelines for extension of Rashtriya Swasthya Bima Yojana to the licensed porters, licensed vendors and licensed hawkers belonging to the above poverty line group whose records are maintained by the Railways and who are not covered under BPL category have been prepared in consultation with the Ministry of Labour & Employment and are as under :-

(i) The Rashtriya Swasthya Bima Yojana is to be implemented through State Nodal Agencies set up to implement RSBY by the State Governments.

(ii) In the States where State Nodal Agency has not been set up, a body will be identified by the State Government which will act as State Nodal Agency for this purpose.

(iii) It has been decided that premium payable to be shared between the Railways and the beneficiaries would be in the ratio of 75: 25. Railways' contribution would be to a maximum of ₹ 565/- per family per annum or 75% of the annual premium, whichever is less. In addition to this, beneficiaries will be paying ₹ 30/- per family per year at the time of registration.

(iv) Railways are required to prepare the data of beneficiaries in the specified RSBY format on Division-basis. This is to enable the Railways to pay the premium to one authority even though the beneficiaries will be spread over one or more districts.

(v) Zonal Railways will have to make advance payment of the full premium for one year for all the beneficiaries to the State Nodal Agency which will pass that on to the Insurance Company selected through open bidding by the State Nodal Agency. Besides 75% of the premium being borne by the Railway, it would be Railways' responsibility to collect the balance share of 25% from the beneficiaries. Insurance companies will enrol beneficiaries and issue Smart Cards after receipt of advance premium.

(vi) Beneficiaries will have to pay a small charge of ₹ 30/- per family per year as registration/renewal fee in addition to their share of 25% of the premium. The registration fee will be collected by the Insurance Company at the time of enrolment directly from the beneficiaries.

(vii) Once enrolled in the scheme, beneficiaries of Railways will be able to get the benefits of the scheme across India in all the empanelled hospitals.

(viii) Key Field Officers have to be nominated on Divisions and a Coordination Officer has to be nominated at the Zonal level from the Commercial Department.

(ix) A workshop on RSBY would be organised in New Delhi inviting Key Field Officers from the Division and the Coordination officers from the Zonal headquarters to create awareness about the Yojana.

(x) The Insurance Company / State Nodal Agency will also conduct wide awareness generation programmes during pre and post enrolment period. Railways may nominate officers from headquarters and divisions to attend such awareness programmes / workshops so that they are able to spread awareness amongst railway staff which is essential for proper implementation of the scheme.

5. The expenditure on payments made by the Railways and the contributions received from the vendors / porters etc under Rashtriya Swasthya Bima Yojana shall be accounted for under the following heads in Abstract K - Miscellaneous Working Expenses :

* Minor Head	:	600 – Other Expenses
* Sub Head	:	660 – Rashtriya Swasthya Bima Yojana
* Detailed heads	:	661 – Premium towards Rashtriya Swasthya Bima Yojana
* Detailed Heads	:	662 – Other Expenses
		663 – Credits for contributions paid by beneficiaries to RSBY

An advance Correction Slip to introduce these accounts heads in the expenditure classification is being issued separately.

6. Necessary action may be taken to provide funds in the Revised Estimates / Budget Estimates for implementation of the scheme.

7. Ministry of Railways desire that this scheme be implemented for the eligible beneficiaries and compliance reported to the Ministry.

8. This issues with the concurrence of Finance and Accounts Directorates of the Ministry of Railways.

(A.D.Ramachandran)
Director, Estt.(LL)
Telefax : 011-23384771
Email : dell@rb.railnet.gov.in

No.2010-E(LL)/AT/USW/1 **New Delhi, dated :27.01.2011**

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For FINANCIAL COMMISSIONER, RAILWAYS

No.2010-E(LL)/AT/USW/1 **New Delhi, dated :27.01.2011**

Copy to :-

1. FA & CAOs, All Indian Railways.
2. Chief Commercial Managers, All Indian Railways.
3. Pay & Accounts Officer, Railway Board.

(A.D.Ramachandran)
Director, Estt.(LL)

No.2010-E(LL)/AT/USW/1 **New Delhi, dated :27.01.2011**

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
2. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
3. The Secretary General, FROA.
4. The Secretary General, IRPOF.
5. The Secretary General, AIRPFA.
6. The General Secretary, AI SC/STA.

(A.D.Ramachandran)
Director, Estt.(LL)

Copy to :

PS/MR, OSD/MR, EDPG/MR, PS/MSR(M), PS/MSR(B)CRB, MS, MT, ME, ML, MM. DG(RHS), DG(RPF), Secretary, AM(B), AM(C),AM(F), AM(T), Adv.(Vig)., Adv.(IR), ADG/PR, C/HRRC,EDPM, EDF(E), EDF(B), EDA, EDF(C), DF(A), DTC(G), Editor, Indian Railways and Bharatiya Rail, JDF(A), JDF(E), DDFE-I, II, III, PR, E(Rep.) II, Railway Board.

RBE NO. 12/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010-ई (एलएल)/एटी/यूएसडब्ल्यू/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 27.01.2011**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।

विषय: रेल मंत्री जी की 2010-11 की बजट घोषणा-लाइसेंसधारी पोर्टरों, लाइसेंसधारी वेंडरों एवं लाइसेंसधारी फेरीवालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में शामिल करना।

रेल बजट 2010-11 पेश करते समय माननीया रेल मंत्री जी की घोषणा के अनुसरण में और हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक दायिताओं को पूरा करने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर के उन लाइसेंसधारी पोर्टरों, लाइसेंसधारी वेंडरों एवं लाइसेंसधारी फेरीवालों, जो ग़ैर संगठित सेक्टर से हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में शामिल करने का प्रस्ताव है।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग़ैर संगठित सेक्टर के कामगारों और उनके परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित खर्चों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना, लाभार्थियों को हेल्थ केयर प्रोवाइडर का चयन करने का अधिकार प्रदान करना और ऐसी योजना उपलब्ध करना जो उपयोगकर्ता के इस्तेमाल के लिए आसान और पारदर्शी हो।

1.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना फ्लोटर आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के पांच व्यक्तियों के बीपीएल परिवार के लिए अस्पताल में भर्ती होने और कतिपय दैनिक देखभाल प्रक्रियाओं के मामले में प्रतिवर्ष 30,000/-रुपये के स्मार्ट कार्ड के आधार पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया करती है। हर बार अस्पताल में जाने के लिए 100/-रुपये की सीमा सहित परिवहन प्रभार में प्रतिवर्ष अधिकतम 1000/-रुपये तक का परिवहन प्रभार भी शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने से 1 दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 5 दिन तक का व्यय इस योजना में शामिल है। सभी प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियां पहले दिन से ही इसमें शामिल होंगी और लाभार्थियों के इनरॉलमेंट के लिए कोई आयु-सीमा नहीं है। विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर इम्पैनलमेंट के ज़रिए भारत में हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नेटवर्क सृजित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के

और ब्यौरे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट www.rsby.gov.in पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

3. यदि गरीबी रेखा से नीचे लाइसेंसधारी पोर्टर, लाइसेंसधारी वेंडर और लाइसेंसधारी फेरीवाले इस योजना में अभी शामिल नहीं हैं तो क्षेत्रीय रेलें उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मौजूदा योजना में शामिल कराने में मदद करेंगी।

4. ऐसे गरीबी रेखा से ऊपर के लाइसेंसधारी पोर्टरों,लाइसेंसधारी वेंडरों और लाइसेंसधारी फेरीवालों के रिकॉर्ड रेलों द्वारा रखे जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की कोटि में शामिल नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्श से मार्गनिदेश बनाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित करने के लिए स्थापित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी है।

(ii) उन राज्यों में, जहाँ राज्य नोडल एजेंसी स्थापित नहीं की गई हैं, राज्य सरकार द्वारा एक निकाय की पहचान की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

(iii) यह निर्णय लिया गया है कि रेलों तथा लाभार्थियों के बीच शेयर किया जाने वाला देय प्रीमियम 75:25 के अनुपात में होगा। रेलों का अंशदान प्रतिवर्ष प्रति परिवार अधिकतम 565/-रुपये अथवा वार्षिक प्रीमियम का 75%, जो भी कम हो, होगा. इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को पंजीकरण के समय प्रति वर्ष प्रति परिवार 30/-रु. का भुगतान करना होगा।

(iv) रेलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में मंडलवार लाभार्थियों के डाटा तैयार करने हैं। इससे लाभार्थियों के एक अथवा अधिक जिलों में होने के बावजूद रेलें एक ऑथॉरिटी को प्रीमियम का भुगतान कर सकती हैं।

(v) क्षेत्रीय रेलों को राज्य नोडल एजेंसी के सभी लाभार्थियों के लिए एक वर्ष के पूर्ण प्रीमियम का अग्रिम में भुगतान करना होगा जिसे राज्य नोडल एजेंसी उसके द्वारा खुली बोली के माध्यम से चयनित बीमा कंपनी को आगे भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 75% प्रीमियम रेलों द्वारा वहन किए जाने पर रेलवे की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शेष 25%

शेयर लाभार्थियों से वसूल करें बीमा कंपनियां लाभार्थियों का एनरॉल करेंगी और अग्रिम प्रीमियम प्राप्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड जारी करेंगी।

(vi) लाभार्थियों को अपने प्रीमियम के 25% शेयर के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीकरण शुल्क के रूप में प्रति वर्ष प्रति परिवार 30/-रुपये की लघु राशि का भुगतान करना होगा। पंजीकरण शुल्क इनरॉलमेंट के समय बीमा कंपनी द्वारा लाभार्थियों से सीधे वसूल किया जाएगा।

(vii) योजना में एक बार इनरॉल होने पर रेलों के लाभार्थी भारत वर्ष में सभी पैनलबद्ध अस्पतालों में योजना का लाभ उठा सकेंगे।

(viii) महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारियों को मंडलों पर और समवय अधिकारी को क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग से नामित किया जाना होता है।

(ix) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मंडल से महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारियों को तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों से समन्वय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

(x) बीमा कंपनी/राज्य नोडल एजेंसी इनरॉलमेंट अवधि से पहले तथा बाद में जागरुकता पैदा करने के व्यापक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी। रेलें, ऐसे जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए मुख्यालयों से तथा मंडलों से अधिकारी नामित करें ताकि वे रेलवे कर्मचारियों में जागरुकता पैदा कर सके जो योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत रेलों द्वारा किए गए भुगतान पर व्यय तथा वेंडरों/पोर्टरों आदि से प्राप्त अंशदान की सार-के-विविध संचालन व्यय में निम्नालिखित लेखा शीर्षों के अंतर्गत गणना की जाएगी :

- लघु शीर्ष : 600 - अन्य व्यय
- उप शीर्ष : 660 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- विस्तृत शीर्ष : 661 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रीमियम
  662 - अन्य व्यय
  663 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए गए अंशदानों के लिए क्रेडिट

व्यय वर्गीकरण में इन लेखा शीर्षों को शुरू करने के लिए एक अग्रिम शुद्धि पर्ची अलग से जारी की जा रही है।

6. योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुमान/बजट अनुमान में निधियों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

7. रेल मंत्रालय चाहता है कि यह योजना पात्र लाभार्थियों के लिए लागू की जाए तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए।

8. इसे रेल मंत्रालय के वित्त और लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(ए.डी. रामचंद्रन)
निदेशक, स्थापना (एलएल)
टेलीफैक्स : 011-23384771
ईमेल: www.dell@rb.railnet.gov.in

सं.2010-ई (एलएल)/एटी/यूएसडब्ल्यू/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 27.01.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित : भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

सं.2010-ई (एलएल)/एटी/यूएसडब्ल्यू/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 27.01.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेलवे बोर्ड।

(ए.डी. रामचंद्रन)
निदेशक, स्थापना (एलएल)

सं.2010-ई (एलएल)/एटी/यूएसडब्ल्यू/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 27.01.2011**

1. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. महासचिव, फ्रोआ।
4. महासचिव, इरपोफ।
5. महासचिव, एआईआरपीएफए।
6. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी एसोसिएशन।

ए.डी. रामचंद्रन

(ए.डी. रामचंद्रन)
निदेशक, स्थापना (एलएल)

ESST-E (LL)